न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः एम. के. सिंह,
सदस्य.

प्रकरण क्रमांक निगरानी 883–दो/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 12–12–13 पारित द्वारा कलेक्टर ऑफ स्टाम्प, जिला कटनी म.प्र. प्रकरण क्रमांक 40/ब–103/2013–14.

———

1– पवन कुमार मित्तल
2– श्री ललित कुमार मित्तल
3– सुरेश कुमार मित्तल
4– विजय कुमार मित्त
पुत्रगण स्व. सी.आर. मित्तल
निवासीगण हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी,
कटनी म0प्र0 द्वारा जरीये
मैसर्स पी.एल.एम. बिल्डर्स एण्ड डवलपर्स
प्रा.लि. कटनी डायरेक्टर श्री ललित कुमार मित्तल
पुत्र स्व. श्री सी.आर. मित्तल,
निवासी हाउसिंग बोर्ड कॉलानी,
कटनी म.प्र. ——— आवेदकगण

विरूद्ध

1– मध्यप्रदेश शासन द्वारा
उप पंजीयक, कटनी

2– आयुक्त नगर पालिक निगम कटनी
द्वारा श्री विष्णुप्रसाद साहू प्रभारी कॉलोनी,
सैल/उपायुक्त, नगर पालिक निगम
कटनी म.प्र. ——— अनावेदकगण

———

श्री राजेन्द्र जैन, अधिवक्ता, आवेदक ।
श्री डी. के. शुक्ला, अधिवक्ता, अनावेदक ।

———

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 06 जुलाई 2015 को पारित)

———

यह निगरानी कलेक्टर ऑफ स्टाम्प, जिला कटनी द्वारा प्रकरण क्रमांक 40/ब–103/13–14 में पारित आदेश दिनांक 12–1–13 के विरूद्ध भारतीय स्टाम्प

अधिनियम, 1899 (जिसे आगे स्टाम्प एक्ट कहा जायेगा) की धारा 56 के तहत पेश की गई है ।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि उप पंजीयक, कटनी के समक्ष एक विक्रय विलेख दिनांक 23.9.13 को पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया गया । उप पंजीयक द्वारा दस्तावेज की प्रतिलिपि स्टाम्प एक्ट की धारा 48–ख के तहत भूल वश मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क गणना में चूक होने से कुल रूपये 3,23,985/– की वसूली हेतु कलेक्टर ऑफ स्टाम्प को प्रेषित किया गया । कलेक्टर ऑफ स्टाम्प ने उभयपक्षों को सुनने के उपरांत आलोच्य आदेश द्वारा आवेदक को मुद्रांक एवं पंजीयन शुक्ल की राशि रूपये 3,23,985/– जमा कराने के आदेश दिये । अधीनस्थ न्यायालय के इस आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि विपरीत है । उप पंजीयक द्वारा प्रश्नाधीन दस्तावेज पर विकास शुल्क की गणना नियमानुसार की गई है जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्टाम्प डयूटी की गणना कुल क्षेत्रफल 1201391 वर्गमीटर दर 7500/– रूपये प्रति वर्गमीटर के हिसाब से कलेक्टर गाइड लाइन के मुताबिक की है, जो त्रुटिपूर्ण है । यह भी कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के प्रावधानों के विपरीत बंधकनामे पर स्टाम्प डयूटी निर्धारित की गई है जबकि विधिक रूप से बंधकनामे पर स्टाम्प शुल्क अदा किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कॉलोनाईजर्स रजिस्ट्रेशन आर्म्स एण्ड कण्डिशन रूल 1998 के विपरीत अनावेदक कं. 2 द्वारा बंधक भूखंड कीमत के आधार पर निर्धारित किया है, जो त्रुटिपूर्ण है । अधीनस्थ न्यायालय का आदेश मुख्य नियंत्रक स्टाम्प के दिशा निर्देश जो म0प्र0 गजट 3396/तकनीकि/2012 दिनांक 18–12–12 द्वारा दिए हैं, के विपरीत है । उक्त आधारों पर उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है ।

4/ अनावेदक शासन की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्यों का उल्लेख करते हुए आदेश पारित किया है जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है अतः उसे स्थिर रखा जाना चाहिए ।

5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का

अवलोकन किया । इस प्रकरण में यह स्पष्ट है कि आयुक्त, नगर निगम द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में यह बताया गया कि आवेदक कमांक 4 पी.एल.एम. बिल्डर्स ने मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क की राशि रूपये 3,23,985/– का चैक जमा कर दिया है और उसके आधार पर उन्हें कालोनी विकास की अनुमति दी गई है । अतः इस प्रकरण में सहमति को मानते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने आवेदक द्वारा आयुक्त नगर निगम के मद में जमा कराई गई राशि को स्टाम्प एवं पंजीयन मद में जमा कराने के जो आदेश दिए हैं उसमें कोई विधि संबंधी त्रुटि नहीं है और ना ही कोई अनौचित्यता है । आदेश सुसंगत एवं औचित्यपूर्ण होने से उसकी पुष्टि की जाती है और यह निगरानी निरस्त की जाती है ।

(एम. के. सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर